

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)302005
ईमेल-dir-pen-rj@nic.in, दूरभाष न. 0141-2740538,2741687
वेबसाईट:- rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांक:- निपेवि/पीसी/ई-कुबेर/2020-21

दिनांक:-
1661-K-1669-K
16-12-2021

प्रबन्ध निदेशक/महा प्रबन्धक,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक,
बैंक ऑफ बडौदा, यूको बैंक, इंडियन बैंक,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
जयपुर।

विषय:- राजस्थान सरकार की ओर से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंको से माह दिसम्बर की पेंशन (जो 01.01.2022 से देय होती है) का भुगतान बैंक द्वारा दिनांक 01.01.2022 से बंद करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार ने पत्र क्रमांक प. 10(11)वित्त/राजस्व/2015/लूज दिनांक 16.12.2021 (प्रतिसंलग्न) द्वारा निर्देशित किया है कि माह दिसम्बर 2021 की देय पेंशन जो दिनांक 01.01.2022 को वितरित की जावेगी, को सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंको के स्थान पर पे-मैनेजर के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा ही वितरित किया जाएगा।

उपरोक्त निर्देशों की पालना में सभी बैंको को सूचित किया जाता है कि राजस्थान सरकार के पेंशनर्स को माह दिसम्बर 2021 की देय पेंशन का भुगतान बैंकों द्वारा स्वयं के स्तर से नहीं किया जावे, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त भुगतान पे-मैनेजर के माध्यम से किया जावेगा।

इस संबंध में कोषाधिकारियों को बैंक द्वारा प्रेषित ऑनलाईन स्करोल से निम्न प्रकार की पेंशन का भुगतान किसी बैंक शाखा द्वारा स्वयं के स्तर से दिनांक 01.01.2022 से नहीं करने के संबंध में कृपया अपने स्तर से संबंधित को पाबंद करावे।

क्र.सं.	पेंशन का प्रकार	बजट मद
1	Civil Pension	2071-01-101-01-00
2	Family Pension	2071-01-105-01-01
3	Panchayat Samiti Civil	2071-01-110-01-00
4	Panchayat Samiti Family	2071-01-110-01-00
5	Municipal Civil	8011-00-106-02-00
6	Municipal Family	8011-00-106-02-00
7	Khadi Civil	2071-01-110-03-00
8	Khadi Family	2071-01-110-03-00
9	AIS Civil	8658-00-101-09-01
10	AIS Family	8658-00-101-09-01
11	NPS Family	2071-01-200-01-00
12	Judge Civil	2071-01-101-01-00
13	Judge Family	2071-01-105-01-01
14	AIS-NPS-Family	8658-00-101-09-03
15	High Court Magistrate	2071-01-106-01-01


(Handwritten signature)

कृपया यह भी सुनिश्चित करे की पेंशन वितरण हेतु कोषाधिकारियों द्वारा पेंशन पत्रावलियां प्रेषित की हुई है किन्तु बैंको द्वारा उनका भुगतान प्रारम्भ नहीं किया गया है एवं प्रोसेस हेतु ऐसे प्रकरण अभी पाईपलाईन है, उनका भुगतान भी तुरन्त प्रभाव से रोका जाये एवं ऐसी पत्रावलियां संबंधित कोषाधिकारी को तुरन्त लौटायी जायें।

अतः आप दिनांक 01.01.2022 को वितरित की जाने वाली पेंशन का भुगतान नहीं करें। दिनांक 01.01.2022 को या इसके पश्चात् बैंको द्वारा किए गये पेंशन भुगतान का पुनर्भरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(संजय सोलंकी) 16/12/2021,
निदेशक

14/12/21
SP

राजस्थान सरकार
वित्त (पेंशन) विभाग

क्रमांक प.10(11)वित्त/राजस्व/2016लूज

जयपुर, दिनांक: 16 DEC 2021

निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्थान पर पे-मैनेजर से पेंशन वितरण के संबंध में।

संदर्भ:- आपकी एकल पत्रावली संख्या निपेवि/पीसी/ई-कुबेर/
2020-21/डीपीडी /पीएस/2021/30 दिनांक 06.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित एकल पत्रावली मूल ही वापिस लौटाते हुए निर्देशानुसार निवेदन है कि दिनांक 14.12.2021 को प्रमुख शासन सचिव, वित्त के कक्ष में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि माह दिसम्बर, 2021 की देय पेंशन जो 01.01.2022 को भुगतान की जायेगी, को बैंकों के स्थान पर पे-मैनेजर के माध्यम से वितरित किया जावे।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के Appendix VI में Scheme for Payment of Pension of Rajasthan Government Civil Pensioners by Public Sector Banks के अनुसार वर्तमान में पेंशन वितरण का कार्य बैंको के द्वारा किया जा रहा है। अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 166 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत Appendix VI में शिथिलन प्रदान करते हुए माह दिसम्बर, 2021 की देय पेंशन जो दिनांक 01.01.2022 को वितरित की जायेगी, को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्थान पर पे-मैनेजर के माध्यम से वितरित किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सभी बैंको द्वारा प्रत्येक माह की 20 तारीख तक इसके लिए आवश्यक कार्यवाही कर ली जाती है, अतः उपरोक्त निर्णय की पालना में पेंशन विभाग के माध्यम से सभी बैंको को यह सूचित किया जाना आवश्यक है कि माह दिसम्बर,


P.T.O.

2021 की देय पेंशन का भुगतान बैंको के द्वारा नहीं किया जाये क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त भुगतान पे-मैनेजर के माध्यम से किया जायेगा। अतः सभी बैंको को उपरोक्तानुसार सूचित करते हुए सुनिश्चित करे कि बैंको द्वारा दिनांक 01.01.2022 को वितरित की जाने वाली पेंशन का भुगतान नहीं किया जावे।

उक्त स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग के द्वारा बारकोड आईडी संख्या 592100155 दिनांक 16.12.2021 द्वारा प्रवृत्त शिथिलन के अनुसरण में जारी की गई है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय


(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव,

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, बजट वित्त विभाग को भेजकर अनुरोध है कि उक्तानुसार पेंशन वितरण हेतु रिजर्व बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर दिनांक 01.01.2022 की पेंशन का बैंको को पुनर्भरण नहीं कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का श्रम करावें।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया पे-मैनेजर के माध्यम से दिनांक 01.01.2022 की पेंशन वितरण कराया जाना सुनिश्चित कराये।

11
संयुक्त शासन सचिव